

74  
76

न्यायालय श्री मान आयुक्त महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर  
वृत्त रीवा संभाग रीवा म० प्र०,

=====000=====



RS-201-

276  
04.06.13

R-2704-II/13

1. दिवाकर सिंह पिता श्री लालमन सिंह उम्र 55 वर्ष पेशा खेती एवं नौकरी निवासी ग्राम तुर्की तहसील रामनगर जिला सतना म० प्र०,

अधिवक्ता श्री वीरेंद्र द्विवेदी  
द्वारा उल्लुखित  
रीवा, दि. 04-06-2013

----- निगराकार,

बनाम

महेश पिता लालमन सिंह उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम तुर्की तहसील थाना रामनगर जिला सतना म० प्र०,

----- गैर निगराकार

बलक थाफ कोटे  
राजस्व मण्डल, म० प्र०  
ग्वालियर  
6/7/13

विषय:- निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील रामनगर जिला सतना के रा० प्र० अ० 5/12-13 आदेश दिनांक 05.04.2013 निगरानी जेर दफा 50 म० प्र० भू० रा० सं 1959,

19-8-13

मान्यवर,

निगरानी के सारांश ,

1. यह कि निगराकार एवं गैर निगराकार आपस में सगे भाई हैं, जिन्होंने अपने पत्रिक सम्मती का खाता विभाजन रा० प्र० क्र० 8।अ27/08-09 आदेश दि. 30.09.2010 के आधार पर कराया है ।

2. यह कि निगराकार ने अपने हिस्से में प्राप्त आराजी का विधिवत् सीमांकन कराया जो तहसीलदार महोदय रामनगर के द्वारा दिनांक 29.09.2012 को अनुमोदन भी किया गया उक्त सीमांकन गैर निगराकार की उपस्थित एवं पूर्ण जानकारी में किया गया था, इस सीमांकन की अपील या निगरानी जेर

Handwritten signature

दिलीप / मेहरा

75

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रच्छ

प्रकरण क्रमांक R-2704-M/13

जिला - सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्रवाई तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर
06/11/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 23/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नसीलदार रामनगर के प्रकरण क्रमांक 3/21-5/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05/04/2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य 6/2/19</p>	